

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 मार्च 2020—चैत्र 4, शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2020 (चैत्र 4, 1942)

क्र. 4954-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2020.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 24 मार्च, 2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

“संविधान के अनुच्छेद 179 के परन्तुक के अधीन मध्यप्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं.

अतः मैं, लाल जी टंडन, मध्यप्रदेश का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगदीश देवड़ा, सदस्य विधान सभा को, अध्यक्ष के निर्वाचन पर्यन्त अध्यक्ष पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 24 मार्च, 2020.

लाल जी टंडन,
राज्यपाल.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.